

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के त्वाग भुगतान (विना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 271]

रायपुर, शनिवार, दिनांक 24 सितम्बर 2011—आश्विन 2, शक 1933

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय, डा. कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 सितम्बर 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ 25-6/2011/नौ/55.—खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (2006 का सं. 34) की धारा 68 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, निम्नलिखित अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारियों को प्रत्येक के सामने दर्शित क्षेत्रों के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी के रूप में, तत्काल प्रभाव से नियुक्त करती है :—

क्र. (1)	न्याय निर्णयन अधिकारियों के नाम (2)	क्षेत्र/जिला (3)
1.	अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी	रायपुर
2.	अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी	दुर्ग
3.	अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी	राजनांदगांव
4.	अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी	धमतरी
5.	अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी	महासमुंद
6.	अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी	कबीरधाम
7.	अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी	बिलासपुर
8.	अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी	जाजगीर-चापा
9.	अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी	कोरना
10.	अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी	रायगढ़

(1)	(2)	(3)
11.	अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी	जशपुर नगर
12.	अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी	सरगुजा
13.	अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी	कोरिया
14.	अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी	जगदलपुर
15.	अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी	कांकेर
16.	अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी	देतेवाड़ा
17.	अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी	नारायणपुर
18.	अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी	बीजापुर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, सचिव.

रायपुर, दिनांक 24 सितम्बर 2011

क्रमांक एफ 25-6/2011/नौ/55.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 24 सितम्बर 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, सचिव.

Raipur, the 24th-September 2011

NOTIFICATION

No. F 25-6/2011/IX/55.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 68 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (No. 34 of 2006), the State Government, hereby appoints the following Additional District Magistrates as Adjudicating Officer for the area indicated against each with immediate effect :—

No. (1)	Name of Adjudicating Officer (2)	Area/District (3)
1.	Additional District Magistrate	Raipur
2.	Additional District Magistrate	Durg
3.	Additional District Magistrate	Rajnandgaon
4.	Additional District Magistrate	Dhamtari
5.	Additional District Magistrate	Mahasamund
6.	Additional District Magistrate	Kabirdham
7.	Additional District Magistrate	Bilaspur
8.	Additional District Magistrate	Janjigur-Champa
9.	Additional District Magistrate	Korba
10.	Additional District Magistrate	Raigarh
11.	Additional District Magistrate	Jashpurnagar

(1)	(2)	(3)
12.	Additional District Magistrate	Sarguja
13.	Additional District Magistrate	Koria
14.	Additional District Magistrate	Jagdalpur
15.	Additional District Magistrate	Kanker
16.	Additional District Magistrate	Dantewada
17.	Additional District Magistrate	Narayanpur
18.	Additional District Magistrate	Bijapur

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
VIKAS SHEEL, Secretary.